भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
उतरी शीतोषण क्षेत्रीय केन्द्र
गडसा (कुल्लू) हि.प्र. 175141

क्रमांक 7(43)एम/2005/ 1054 दिनांक. 20.12. 2014

उद्धरण (कुटेशन) आमन्त्रण नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान मे अतिथि गृह की देखभाल, सफाई, रसोई सम्बन्धित सभी कार्य, अतिथि / यात्री/ किसान/ आगन्तुकों के लिए खाना व चाय इत्यादि बनाना, बिस्तरों को साफ सुथरा बिछा कर रखना, हर रोज अतिथि गृह के सामान को पोंछना, फर्श पर पोचा व झाडू लगाना, अतिथि गृह के अन्य कार्य जो समय –2 पर जरुरी समझा जाए, इत्यादि कार्य करने हेतु अध्यक्ष, उतरी शीतोषण क्षेत्रीय केन्द्र, गड़सा द्वारा वार्षिक अनुबन्ध के लिए सादे कागज पर स्वहस्ताक्षरित कुटेशन मोहर बन्द लिफाफे में आमन्त्रित किए जाते हैं 1 इच्छुक व्यक्ति / पार्टियां अपने कुटेशन दिनांक 02.01.2015 को समय 11.00 बजे तक इस कार्यालय मे जमा करवा सकते हैं 1 जो उसी दिन दिनांक 02.01.2015 को 11.30 बजे गठित कमेटी द्वारा खोली जाएगी :

नियम एवं शर्ते:

1 अतिथि गृह के कार्य हेतु सवसे कम व उचित दरें ही स्वीकार की जाएँगीं 1 यदि आवश्यक समझा गया तो दर के बारे में बातचीत (नेगोसिएसन) की जा सकती है1 फिर भी प्राप्त किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है 1 कुटेशन दाता के पास पैन न0– अनिवार्य होना चाहिये जिस की छाया प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करनी होगी 1

2 कुटेशन के साथ रूपये 1000/– बतौर साई राशि जमा करवानी होगी यह राशि सफल ठेकेदार को छोड़ कर ठेका की कार्यवाही पूर्ण होने के तुरन्त बाद लौटा दी जाएगी 1

3 सफल ठेकेदार को कुल ठेका राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी जिस में साई राशि भी समयोजित की जा सकती है 1 धरोहर राशि् बैंक ड्राफ्ट जो सी. एस. डब्लू. आर.आई. यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा भून्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवीं रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं 1 यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी 1

4 ठेके की अवधि 12 महीने की होगी1 ठेका कार्य की सन्तुष्टि को देखकर ठेकेदार की सहमति पर इसे वढ़ाया भी जा सकता है 1 इसके विपरीत कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में ठेका अवधि से पूर्व निरस्त किया जा सकता है तथा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है 1

~~5 जिस ठेकेदार के पक्ष में ठेका होता है, वह किसी~~ अन्य व्यक्ति के नाम ठेका हस्तान्तरित नहीं कर सकता है 1

6 ठेकेदार स्वयं या उनके द्वारा नियुक्त अनुभवी व्यक्ति को अतिथि के रहते समय या उनके आने की सम्भावना पर हर समय अतिथि गृह मे मौजूद रहना होगा 1 नावालिग को कार्य पर तैनात करना स्वीकार्य नहीं होगा 1 ठेकेदार को मजदूर सम्बन्धी विवादों / ई.पी. एफ., न्यून्तम मजदूरी अधिनियम तथा अन्य लेबर नियम सम्बन्धित मामलों से स्वंय निपटना होगा 1 संस्थान / केन्द्र की इस सम्बंध में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी 1

7 ठेके की शर्तों का पालन न करने पर यदि ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न स्वयं करने पर ठेका तुरन्त समाप्त किया जाएगा व ऐसी दशा में ठेकेदार की धरोहर राशि जब्त की जाएगी1

8 सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के बाद बिल का भुगतान, बिल प्रस्तुत करने, पैन न0 के इन्द्राज करने व प्रभारी अतिथि गृह द्वारा सत्यापित करने के बाद, लेखाधिकारी, केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर द्वारा 45 दिनों के भीतर किया जाएगा 1 नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा 1

9 ठेकेदार एवं उसके श्रमिकों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों व अतिथियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा 1

10 ठेकेदार या उस के प्रतिनिधि द्वारा संस्थान की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा 1 यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, साथ ही अनुबन्ध की अवधि में किसी श्रमिक को लगाया या हटाया जाता है तो उसकी सूचना भी प्रभारी अतिथि गृह को देनी होगीं 1 यदि ठेकेदार या उस्के द्वारा लगाए गये मजदूर किसी असामाजिक गतिविधियों मे संलिप्त पाए गऐ तो ठेका तुरन्त निरस्त किया जाएगा 1

11 निदेशक/ अध्यक्ष को बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी कुटेशनों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा 1

12 यदि किसी कारणवश उपरोक्त दिनांक को अवकाश होता है तो इस कार्य हेतु अगली दिनांक लागू होगी 1

20.12.14
कार्यकारी अध्यक्ष

1. नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केन्द्र, गडसा 1
2. प्रधान, ग्राम पंचायत गडसा, दियार, शियाह, हुरला व थरास1
3. प्रभारी ऐ. के. एम. युनिट, केन्द्रीय भेड व ऊन अनुसंधान, संस्थान, अविकानगर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि कुटेशन सूचना को कृप्या संस्थान के बैब साईट मे डालने का श्रम करें 1
4. प्रभारी अतिथि गृह को बृहत प्रचार हेतु प्रेषित है